**International Journal of Advanced Research and Development**
**ISSN: 2455-4030**
**Impact Factor: RJIF 5.24**
**www.advancedjournal.com**
**Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 546-548**

# 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' चुनाव प्रणाली : विसंगतियाँ एवं सुधार की आवश्यकता

**कुमार सौरभ**
शोध छात्र (जे0आर0एफ0), राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

**सारांश**
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है, जिसके संविधान के भाग XV के अन्तर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक 'चुनावी व्यवस्था' का विस्तृत उल्लेख किया गया है। देश में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों के निरीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष 'चुनाव आयोग' की व्यवस्था की गयी है। भारत में संसदीय एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव हेतु प्रारम्भ से ही 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली को अपनाया गया है। समय–समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' चुनाव प्रणाली की जगह 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली' अपनाये जाने के पक्ष में वकालत करते हुये देखा गया है। 16 वीं लोकसभा चुनाव 2014 तथा उत्तर–प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव 2007, 2012 एवं 2017 के चुनाव परिणाम 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह की भाँति है, जो हमारी चुनाव प्रणाली में आवश्यक सुधारों की ओर आकर्षित करती है।

**मूल शब्द :** भारतीय संविधान, चुनाव प्रणाली, उत्तर–प्रदेश एवं लोकसभा।

## प्रस्तावना
चुनाव सुधारों पर गठित विभिन्न समितियों की रिपोर्टों में भारतीय चुनाव व्यवस्था से धनबल, बाहुबल, अपराधीकरण आदि को समाप्त करने को प्रमुखता दी गयी। किन्तु एक आदर्श चुनाव प्रणाली की स्थापना के पक्ष में यह तर्क उचित हो सकता है मगर पर्याप्त नहीं क्योंकि विगत कई चुनाव परिणामों के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि मतदाताओं को संसद एवं राज्य विधानसभाओं में औचित्यपूर्ण एवं समावेशी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सका है। इसके साथ–साथ चुनाव व्यवस्था वह माध्यम है जिसके द्वारा राजनीतिक दल 'शक्ति', 'सत्ता की वैधता' एवं 'मतदाताओं का विश्वास' प्राप्त करते हैं ऐसे में मतदाताओं के अन्तर्गत चुनाव प्रणाली के प्रति विश्वसनीयता एवं सुचिता बनाए रखना अनिवार्य है। जो स्वभावतः हमारी चुनाव प्रणाली से सन्दर्भित एक स्वस्थ बहस को अपरिहार्य बनाती है।

## 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली
यह प्रणाली चुनाव की सबसे सरल प्रणाली है जो मतदाताओं की समझ की दृष्टि से भी आसान है। इस चुनाव प्रणाली के अन्तर्गत राज्य को, जहाँ चुनाव कराया जाना हो, छोटे–छोटे चुनाव क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। ये चुनाव क्षेत्र एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र होते हैं तथा इसमें उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में मतदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक मतदाता द्वारा एकल मत दिया जाता है तथा सभी उम्मीदवारों में से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होता है, चाहे विजयी उम्मीदवार को कितना भी (कम या अधिक) मत क्यों न प्राप्त हुआ हो। किन्तु दूसरे स्थान पर रहने वाला उपविजेता भी नहीं होता हैं। इस चुनाव प्रणाली का विशेष महत्व यह है कि इसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र हेतु स्पष्टतः एवं चिन्हित, अभिन्न प्रतिनिधि होता है तथा प्रत्येक मतदाता को अपने प्रतिनिधि के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त होती है। किन्तु इस प्रणाली की एक बड़ी समस्या भारत जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता वाले देश में राजनीतिक समावेशन की है जिसके आधार पर ग्रेट ब्रिटेन चुनाव सुधार समाज द्वारा 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली को मतदाता एवं प्रजातन्त्र दोनों के लिए हानिकारक बताया गया है। इसमें एक बड़ी समस्या उम्मीदवारों की बहुलता भी रही है।

## वर्तमान परिदृश्य
यद्यपि कि 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' चुनाव प्रणाली मतदाताओं की समझ, एवं चुनावी प्रक्रिया की दृष्टि से सरल है किन्तु पिछले कई चुनाव के परिणामों को देखते हुये चुनाव की इस प्रणाली की समीक्षा अनिवार्य हो जाती है। यदि हम भारत की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो 16वीं लोकसभा चुनाव तथा उत्तर–प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव 2007, 2012 एवं 2017 के परिणाम इस चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव में जहाँ बहुजन समाज पार्टी 4.2 प्रतिशत मत प्राप्त की किन्तु लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व शून्य रहा जबकि वहीं 16वीं लोकसभा चुनाव में ही बीजू जनता दल को 1.7 प्रतिशत मत, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम् 3.3 प्रतिशत मत तथा तृणमूल कांग्रेस कुल 3.8 प्रतिशत मत प्राप्त कर क्रमशः 20, 37 व 34 सीटें जीतने में सफल हुयी। इसके पक्ष में विश्लेषकों का तर्क रहा है कि बीजू जनता दल, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम् एवं तृणमूल कांग्रेस का जनाधार राज्य विशेष में सीमित था जबकि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार राष्ट्रीय स्तर पर था किन्तु यहाँ यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि बहुजन समाज पार्टी अपने मुख्य जनाधार वाले राज्य उत्तर–प्रदेश में लगभग 20 प्रतिशत मत प्राप्त करने के बाद भी एक भी सीट नहीं जीत सकी। वहीं दूसरी तरफ (उत्तर–प्रदेश में) बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त मतों के दो गुने से कुछ ही अधिक मत प्राप्त कर (42.3 प्रतिशत मत) भारतीय जनता पार्टी उत्तर–प्रदेश में 71 सीटों पर विजयी रही। जबकि इसी चुनाव में उत्तर–प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7.50 प्रतिशत मत प्राप्त कर (राष्ट्रीय स्तर पर 19.5 प्रतिशत मत प्राप्त कर कुल 44 सीटें प्राप्त की) तथा समाजवादी पार्टी 22.2 प्रतिशत मत प्राप्त कर (राष्ट्रीय

स्तर पर 3.2 प्रतिशत मत) क्रमशः 2 एवं 5 सीटें ही प्राप्त कर सकीं। कमोबेस यही स्थिति उत्तर–प्रदेश विधानसभा चुनाव 2007, 2012 एवं 2017 के परिणामों में भी देखा जा सकता है।

उत्तर–प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव 2017 के परिणामों का विश्लेषण करें तो सत्ता में आयी भारतीय जनता पार्टी कुल पड़े मतों का मात्र 39.7 प्रतिशत मत प्राप्त कर कुल 312 सीटें प्राप्त करने में सफल रही जबकि उत्तर–प्रदेश में मुख्य जनाधार वाली पार्टियों समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ गठबन्धन में चुनाव लड़ी तथा 21.8 प्रतिशत मत प्राप्त कर 47 सीटें प्राप्त की जबकि वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी कुल 22.2 प्रतिशत मत प्राप्त कर मात्र 19 सीटें ही प्राप्त कर सकी। इन चुनाव परिणामों को देखते हुये यह कहा जाना गलत न होगा कि मतदाताओं को संसद एवं विधानसभाओं में औचित्यपूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सका है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन जहाँ मात्र 38.7 प्रतिशत मत प्राप्त कर 331 सीटें प्राप्त किया है वहीं चुनाव में पड़े कुल मतों का बहुलांश अर्थात् शेष 61.3 प्रतिशत मत को लोकसभा में केवल 214 सदस्यों का प्रतिनिधित्व ही प्राप्त कर सका। वहीं दूसरी तरफ उत्तर–प्रदेश राज्य विधानसभा की बात करें तो 39.7 प्रतिशत मतों का प्रतिनिधित्व 312 सदस्यों को प्राप्त है जबकि शेष 60.3 प्रतिशत मत का प्रतिनिधित्व मात्र 91 विधायक अर्थात् 22.5 प्रतिशत विधायक कर रहे हैं। लगभग यही स्थिति उत्तर–प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव 2002, 2007 एवं 2012 में भी रही। उत्तर–प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव 2002, 2007, 2012 एवं 2017 के परिणामों को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है :–

**तालिका 1 :** उत्तर–प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव परिणाम

| क्र.सं. | चुनाव वर्ष | BJP | | BSP | | SP | | INC | | RLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सीटें | मत % | सीटें | मत % | सीटें | मत % | सीटें | मत % | सीटें | मत % |
| 1 | 2017 | 312 | 39.7 | 19 | 22.2 | 47 | 21.8 | 7 | 6.3 | 1 | 1.8 |
| 2 | 2012 | 47 | 15 | 80 | 25.91 | 224 | 29.13 | 28 | 11.65 | 9 | 2.33 |
| 3 | 2007 | 51 | | 206 | 30.43 | 97 | 26.07 | 22 | 8.84 | 10 | 3.70 |
| 4 | 2002 | 88 | | 98 | 23.06 | 143 | 26.27 | 25 | 8.99 | 14 | 2.48 |

अभी तक हमने चुनाव परिणामों का विश्लेषण राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों एवं उन्हें प्राप्त सीटों के सन्दर्भ में किया है किन्तु धर्म एवं लैगिंकता के आधार पर इन चुनाव परिणामों का विश्लेषण किये बिना हमारे द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण अधूरा है क्योंकि मुस्लिम धर्मावलाम्बियों की संख्या भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या की लगभग 14 प्रतिशत से अधिक है जबकि महिलाएँ देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं किन्तु लोकसभा एवं विभिन्न राज्य विधानसभाओं में इनका प्रतिनिधित्व निराशाजनक है। दूसरे शब्दों में कहें तो इनका प्रतिनिधित्व 'घाटे का प्रतिनिधित्व' रहा है। 16वीं लोकसभा में जहाँ मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की संख्या मात्र 29 है अर्थात् कुल सदस्य संख्या का मात्र 5.3 प्रतिशत वहीं महिलाओं को 64 सीटें अर्थात् कुल सदस्य संख्या का मात्र 11.7 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। उत्तर–प्रदेश राज्य विधानसभा में महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। उत्तर–प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव 2017 में महिलायें रिकार्ड प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के बाद भी 403 सदस्यों वाली विधानसभा में मात्र 38 सीटें प्राप्त कर सकी हैं जो सम्पूर्ण सदस्य संख्या का केवल 9.4 प्रतिशत है। उत्तर–प्रदेश राज्य विधानसभा में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व 'घाटे के प्रतिनिधित्व' अर्थात् 'अल्प प्रतिनिधित्व' का है। जहाँ उत्तर–प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या 19.26 प्रतिशत है वहीं उनका प्रतिनिधित्व 23 सीटों अर्थात् 5.7 प्रतिशत पर सिमट कर रह गया है। भारतीय लोकतन्त्र के इतिहास में धर्म एवं लैगिंकता के आधार पर 'घाटे के प्रतिनिधित्व' अर्थात् 'अल्प प्रतिनिधित्व' जैसा परिदृश्य एवं मतदाताओं का संसद एवं राज्य विधानसभाओं में औचित्यपूर्ण प्रतिनिधित्व का प्रश्न प्रारम्भ से ही अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है।

## 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली की प्रासंगिकता एवं वैकल्पिक समाधान

उपरोक्त चुनाव परिणामों के मद्देनजर यह कहा जाना तर्कसंगत है कि भारतीय चुनाव प्रणाली को आदर्श चुनाव प्रणाली बनाये जाने के साथ–साथ भारतीय लोकतन्त्र को समावेशी बनाये जाने हेतु 'चुनाव प्रणाली' में संशोधन किया जाना आवश्यक है। समय–समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' की जगह 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली' अपनाये जाने की वकालत की जाती रही है। किन्तु चुनाव प्रणाली को बदले जाने के पक्ष में तर्क देने से पहले आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लाभ–हानि को समझ लेना चाहिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चुनाव की एक जटिल प्रणाली है, जिसके कई रूप हैं, जिसमें से एक 'एकल हस्तान्तरणीय मत प्रणाली' का प्रयोग भारत में राज्यों के विधानपरिषदों के साथ–साथ राज्यसभा सदस्यों के चुनाव हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इस चुनाव प्रणाली की विशेशता यह है कि इसके माध्यम से छोटे राजनीतिक दलों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा किन्तु इस प्रणाली में सर्वप्रथम समस्या यह है कि इससे एक अस्थिर सरकार बनने की सम्भावना अधिक रहेगी क्योंकि इस प्रणाली से भारत में विद्यमान 'राजनीतिक बहुलवादिता' एवं वर्तमान बहुदलीय राजनीतिक परिदृश्य में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त करने की सम्भावना थोड़ी कम होगी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाये जाने के सन्दर्भ में हम भारत के क्षेत्रगत, भाषागत, धर्मगत, जातिगत आदि विभिन्नताओं को भी नजर अन्दाज नहीं कर सकते क्योंकि इसी पृष्ठभूमि में राजनीतिक दलों एवं हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का उद्भव एवं विकास हुआ है। इसके साथ–साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से साम्प्रदायिक ताकतों को बढ़ावा मिल सकता है, स्थिति यह भी हो सकती है कि बहुदलीय होड़ की परिस्थिति में भारतीय संघात्मकता एवं अल्पजनों का राजनीतिक हित, दोनों के लिए यह प्रणाली नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है।

ऐसी स्थिति में 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' चुनाव प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अपेक्षा अधिक उचित प्रतीत होती है। किन्तु 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली की नकारात्मकता की भरपाई भी आवश्यक है। इन परिस्थितियों में एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' चुनाव प्रणाली एवं सूची आधारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के सम्मिलित रूप को अपनाया जा सकता है। जिसके अन्तर्गत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे

सदस्यों का चुनाव 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली के माध्यम से किया जाये तथा शेष आधे सदस्यों का चुनाव सूची आधारित चुनाव प्रणाली से हो जिसमें सभी राजनीतिक दलों द्वारा जिला आधारित अथवा प्रदेश आधारित (जैसा कानून द्वारा निर्धारित किया जाये) उम्मीदवारों की सूची चुनाव आयोग को दी जाये तथा चुनाव में प्राप्त प्रतिशत मतों के आधार पर सूची प्रणाली के माध्यम से विजेता घोषित किया जाये। इस मध्यमार्गी चुनाव व्यवस्था के माध्यम से दोनों चुनाव प्रणालियों के लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यह चुनाव पद्यति भारत द्वारा नवप्रवर्तित होगी बल्कि यह कतिपय परिवर्तन के साथ विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलित भी है। इस चुनाव प्रणाली की विशेषता यह होगी कि इससे न तो बहुजन समाज पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी लोकसभा में प्रतिनिधित्व विहीन रहेगी और न ही संसद एवं राज्य विधानसभा चुनावों में बहुमत की जगह अल्पमतों को सत्ता प्राप्त होगी जैसा कि उत्तर–प्रदेश में 2007 में केवल 30.43 प्रतिशत मत प्राप्त कर बहुजन समाज पार्टी, 2012 में 29.13 प्रतिशत मत प्राप्त कर समाजवादी पार्टी तथा सन् 2017 में 39.7 प्रतिशत मत प्राप्त कर भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुयी। इसके अतिरिक्त इस मध्यमार्गी चुनाव प्रणाली में अस्थिर सरकार के गठन की सम्भावनाएँ, भारतीय संघात्मकता को कमजोर होने की सम्भावना एवं साम्प्रदायिक ताकतों के मजबूत होने की सम्भावनाएँ भी कमजोर होंगी। ऐसे में स्थायी रूप से न सही तो प्रायोगिक रूप से इस चुनाव प्रणाली को अपनाया जा सकता है।

इसके साथ–साथ चुनाव सुधारों की कड़ी में दल–बदल पर कड़ा कानून बनाये जाने की भी आवश्यकता है। प्रावधान ऐसा होना चाहिए जिससे चुनाव पूर्व दल–बदल की सम्भावनाएँ भी क्षीण हों। विगत कई चुनावों में यह देखा गया है कि विभिन्न नेताओं द्वारा टिकट कटने या फिर तत्कालीन राजनीतिक लाभ की परिस्थिति को देखते हुये अपने निजी राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु दल–बदल किया जाता रहा है। इसके साथ–साथ जन प्रतिनिधियों द्वारा दल–बदल की स्थिति में तत्काल उनकी सदस्यता रद्द करने का प्रावधान किया जाना चाहिए क्योंकि दल–बदल से मतदाताओं के राजनीतिक अधिकार तथा चयन के अधिकारों का हनन होता है।

## निष्कर्ष

विश्व के सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश भारत में, जहाँ चुनाव प्रक्रिया को 'राजनीतिक महापर्व' की संज्ञा दी जाती है, चुनाव प्रणाली के रूप में 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' (First Past the Post) प्रणाली को अपनाया गया है। इस चुनाव प्रणाली के माध्यम से भारत में 16 लोकसभा चुनावों एवं राज्य विधानसभा के सैकड़ों चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये गये हैं। मतदाताओं की आसान समझ, चुनाव क्षेत्रों हेतु स्पष्ट एवं निश्चित प्रतिनिधि, स्थायी सरकार आदि विभिन्न लाभों के बावजूद इस चुनाव प्रणाली में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि दृष्टि से राजनीतिक समावेशन की समस्या बनी रही है। विगत कई चुनावों के परिणामों के आलोक में यह भी कहा जा सकता है कि दलगत समावेश एवं मतदाताओं के औचित्यपूर्ण प्रतिनिधित्व का अभाव इस चुनाव प्रणाली का नकारात्मक पक्ष रहा है। जिस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या यह चुनाव प्रक्रिया तथा इस प्रक्रिया से प्राप्त परिणाम मतदाताओं की राजनीतिक पसंद का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करता है। विगत कई चुनावों के परिणाम का विश्लेषण करने से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत बहुमत प्राप्त दल भी अल्पमत का प्रतिनिधित्व करता रहा है तथा इस प्रक्रिया में विभिन्न वंचित एवं पिछड़े वर्गों के साथ–साथ मुस्लिम एवं महिलाओं की उपेक्षा तथा सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व अर्थात् अल्प प्रतिनिधित्व एक अन्य बड़ी समस्या है। इस आलोक में विभिन्न विद्वानों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाये जाने की वकालत की गयी किन्तु विभिन्न समस्याओं के बावजूद 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय राजनीति के स्थायित्व, साम्प्रदायिकता की कमजोर होती भावना, भारतीय संघवाद की प्रबलता तथा विशेष वर्गों को दिये गये आरक्षण आदि के माध्यम से 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली द्वारा उत्पन्न नकारात्मकताओं को (एक सीमा तक) सन्तुलित करने में सफलता प्राप्त हुयी है।

## सन्दर्भ


1. एम0 लक्ष्मीकांत – भारत की राजव्यवस्था, मैक्ग्राहिल, चेन्नई, 2017
2. भारत – प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, 2017
3. उत्तर–प्रदेश – सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर–प्रदेश, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2015
4. योजना (लोकतन्त्र एवं चुनाव सुधार) : प्रकाशन विभाग, सूचना व प्रसारण मन्त्रालय, सूचना भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, नयी दिल्ली, अंक 7, जुलाई 2014।
5. दैनिक जागरण, 12 मार्च 2017, इलाहाबाद
6. द हिन्दू – लखनऊ
7. जनसत्ता – लखनऊ
8. www.eci.nic.in